FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

देवा पुत्र नाथू जाति गुर्जर बनाम मांगीलाल पुत्र लादूराम जाति गुर्जर वगै.

सा. इण्डाली तह. नावां सा. इण्डाली तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए

मुकदमां नम्बर 024/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
10.02.2023	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम इण्डाली के खसरा नम्बर 1132/108 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार का बैचान/हस्तानांतरण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.03.2023 को पेश हो। (अशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
14/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील बार अध्यक्ष के द्वारा आज [illegible] स्थगन रखा है। पत्रावली दिनांक 20/4/23 को पेश हो।	
20/4/23	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 13/6/23 को पेश हो ।	
13/6/23	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार पधारे है पत्रावली दिनांक 28/6/23 को पेश हो ।	
28/6/23	पत्रावली [illegible] अदालत [illegible] अभियान 202[illegible] कैम्प कार्यालय पंचायत भारत निर्माण [illegible] गांधी सेवा केन्द्र [illegible] में आज पेश [illegible] पक्षकारान वादी/प्रतिवादी हाजीर/गैर हाजीर। पक्षकारान वादी/प्रतिवादीगण हाजीर/गैर हाजीर। पक्षकारान के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय मे दिनाक 20/9/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:01:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
20/9/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:01:23 IST
Reason: SelfAttested